

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014—भाद्र 27, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-68-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 706-2423-चौदह-1, दिनांक 5 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, हनुमना के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगर परिषद्, हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 15.00 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (3)
1	199	1.14
2	214/2	12.07
3	215	0.29
4	216	1.23
5	217	0.27
कुल योग . .		15.00

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री रामप्रसाद गुप्ता का मकान.

दक्षिण में—श्री बिहारी सेठ का गोदाम.

पूर्व में—श्री रोहिणीधर द्विवेदी की जमीन.

पश्चिम में—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 07.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-68-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2014

No. D. 15-68-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Hanumana has been established by this department's Notification No. 706-2423-XIV-1, dated 5th February 1969, shall be Additional market yard namely:—

PLACE

An area of 15.00 Acre land of below mentioned Khasra number at Nagar Parishad Hunumana in Tehsil Hunumana of District Rewa:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Acre)
(1)	(2)	(3)
1	199	1.14
2	214/2	12.07
3	215	0.29
4	216	1.23
5	217	0.27
Total . .		15.00

BOUNDED BY

**On the North by—** House of Shri Ram Prasad Gupta.

**On the South by—** Godown of Shri Bihari Seth.

**On the East by—** Land of Rohdidhar Duvedi.

**On the West by—** National Highway No. 07.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-68-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 706-2423-चौदह-1, दिनांक 5 फरवरी 1969 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति हनुमना, जिला रीवा के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर परिषद् हनुमना, तहसील हनुमना, जिला रीवा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  - (1) अमहा वासुदेव, (2) अमहा पण्डितान, (3) भाठी, (4) मुरैठा (कोठार), (5) मुरैठा (कचनार), (6) चोरहा, (7) भुअरी, (8) छिपिया, (9) दुवगवाँ, (10) कोटियार, (11) गेदुरहट, (12) चहला, (13) लटियार, (14) सगरा कला, (15) सगरा खुर्द, (16) मसुरिहा, (17) अटरिया, (18) बढैया, (19) दुगौली, (20) भुडहा, (21) अर्जुनपुर पैकान, (22) अर्जुनपुर शुक्लान, (23) गहवरा, (24) मिसिरपुरा, (25) सलैया काटन, (26) सलैया खास, (27) सोनखना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-68-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 18 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th September 2014

No. D. 15-68-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department Notification Number 704-2423-XIV-1, dated 5th February 1969, the following area of Hanumana of District Rewa shall be Additional market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nager Parishad Hanumana in Tehsil Hanumana of District Rewa.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
  - (1) Amha Vasudev, (2) Amha Panditan, (3) Bhati, (4) Muretha Kothar, (5) Muretha Kachnar, (6) Chorha, (7) Bhuari, (8) Chipiya, (9) Duvgawa, (10) Kitiyar, (11) Gedurhut, (12) Chahla, (13) Latiyar, (14) Sagra Kala, (15) Sagra Khurd, (16) Masuriha, (17) Atariya, (18) Badhaiya, (19) Dugouli, (20) Bhudha, (21) Arjunpur Paikaan, (22) Arjunpur Suklan, (23) Gahvara, (24) Misirpura, (25) Sallaiya Katan, (26) Sallaya Khas, (27) Shonkhana.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.